Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपील डि./टीए/11965/2003/अलवर</u>

1. सुखराम पुत्र हट्टी कहार मृतक जरिये वारिसान–
1/1. कैलाश
1/2. कमल
1/3. दरब
1/4. मुकेश
1/5. जोगेन्द्र पुत्रगगण सुखराम
1/6. इन्द्रा पुत्री सुखराम
1/7. सन्तो बेवा सुखराम
समस्त जाति कहार निवासी ग्राम सौखरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरस्वती बेवा लक्ष्मण मृतक नाम तर्क
2. भगवन्ती देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी रामसिंह निवासी नीमली
3. मूला देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी बाबूलाल निवासी महुवा
4. पूरी देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी रमेश निवासी महुआ
5. चौथी देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी जगदीश निवासी खेडली जिला अलवर
6. मिथलेश देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी ओमी निवासी खेडली जिला अलवर
7. विद्यादेवी पुत्री लक्ष्मण पत्नी विशम्भर निवासी कल्याणपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर
8. प्रभू पुत्र लक्ष्मण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
9. रेवती पुत्र गंगाधर जाति ब्राहमण निवासी सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
10. धर्मचन्द पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
11. गोपाल पुत्र रामजीलाल ब्राहमण निवासी सोखरी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लक्ष्मणगढ

–प्रत्यर्थीगण

<u>खण्डपीठ</u>
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 14.03.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–09–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–12 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सोखरी स्थित आराजी खसरानम्बर 1781, 1792, 1793 मिन एवं 1825मिन, जिसका हाल खसरा नम्बर 2943 बना है, जो गलत तौर पर चारागाह व गैर मुमकिन तलाई दर्ज किया गया है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता की विश्वेदारी की भूमि थी। पूर्व में उनके पिता तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय भी विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे। अतः रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी राज्य सरकार को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित चार विवाद्यक विरचित किये। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–03–1987 से वादीगण प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा

इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-09-1997 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी हमेशा से गैर मुमकिन की भूमि है व गैर मुमकिन तलाई व गैर मुमकिन पोखर की भूमि पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसीभी व्यक्ति को खतोदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उनका कथन है कि बरवक्त लागू किये जाने विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में मकबूजा मालकान दर्ज होना विचारण न्यायालय द्वारा माना गया है तथा मकबूजा मालकान की भूमि को विश्वेदार की खुदकाश्त की नहीं कहा जा सकता। उनका कथन है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन चारागाह व गैर मुमकिन तलाई की भूमि होने से सार्वजनिक हित की भूमि थी तथा ऐसी भूमि बाबत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध गांव को कोई भी व्यक्ति व्यथित पक्षकार होने के आधार पर अपील प्रस्तुत कर सकता है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के

साथ अपील प्रस्तुत कर दी थी। उनका कथन है कि अपीलार्थी विवादित आराजी की काश्त करता है व अपीलार्थी को उक्त भूमि पट्टे काश्त पर दी हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं होना मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से राज्य सरकार प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उनकी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है तथा विवादित आराजी उनके पूर्वजों के समय से उनके कब्जे खुदकाश्त में चली आ रही है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह भलीभांति स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी पर सम्वत् 2001 से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से काबिज काश्त होने से विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। उनका कथन है कि विवादित आराजी कभी भी चारागाह या गैर मुमकिन पोकर की भूमि नहीं रही है। हाल बन्दोबस्त में खिलाफ मौका विवादित आराजी का इन्द्राज कर दिया, जो वादीगण के हितों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य थे। उनका कथन है कि विचारण

न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिकी पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं होना मानकर एवं उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर माने जाने का अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रत्यर्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–12 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सोखरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 1781, 1792, 1793 मिन एवं 1825मिन, जिसका हाल खसरा नम्बर 2943 बना है, जो गलत तौर पर चारागाह व गैर मुमकिन तलाई दर्ज किया गया है जबकि वादीगण बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय भी विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे। अतः रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 लगायत 17 में साबिक खसरा नम्बर 1782 मकबूज मालकान दर्ज होकर भगवत, लिछमण समान भाग सा0 देह खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 1793 पर भी बदस्तूर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1781 पर मकबूजा मालकान दर्ज होकर

गंगाधर, रामजीलाल वगैराह वादीगण हिस्सेदार दर्ज है। इसी प्रकार के इन्द्राज प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 लगायत 21, प्रदर्श–7 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 में तथा प्रदर्श–8 नकल खसरा गिरदारीसम्वत् 2016 लगायत 2029 में दर्ज है। प्रदर्श–9 में खसरा नम्बर 2943 रकबा 06बीघा 04बिस्वा गैर मुमकिन तलाई सिचायचक दर्ज है। यह इन्द्राज बन्दोबस्त द्वारा किया गया है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 2943 साबिक खसरा नम्बर 1781, 1792, 1793 एवं 1825 को मिलाकर बनाया गया है। प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत् 2029 में साबिक खसरा नम्बर 1792 एवं 1781 पर वादीगण खातेदार दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1793 बजंड कदीम दर्ज है। उक्त से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी साबिक खसरानम्बर 1781, 1792 एवं 1793 पर बिश्वेदारी व कब्जे काश्त की प्रमाणित होती है तथा हाल खसरा नम्ब्र 2943 में साबिक खसरा नम्बर 1781 का कुल रकबा 03बीघा 06बिस्वा व 1792 का 02बीघा रकबा मिलाया गया है, दोनों ही खसरा नम्बर प्रदर्श–10 जमाबन्दी के अनुसार वादीगण की खातेदारी में थे। खसरा नम्बर 1793 मिन का 15बिस्वा रकबा इसमें मिलाया गया है, जो सम्वत् 2029 तक मकबूजे मालकान दर्ज होकर बंजड कदीम था। उपरोक्त नम्बरान कभी भी चारागाह या सिवायचक दर्ज नहीं रहे है। विचारण न्यायालय ने इन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर मुख्य तनकी संख्या–1 को वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद को विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. जहां तक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माने जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने अपील मीमों के साथ

धारा 96 जाप्ता दीवानी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं चाही गयी है। ना ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी से व्यथित होना सिद्ध कर पाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायलाय द्वारा इस बिन्दू पर पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित प्रतीत नहीं होता है।

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य